क्रमांक 5093-3 जी0 एस0--II-75/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अप्रैल, 1975

विषय :— सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सुविधाएं देना—ग्रुप इन्शोरेन्स स्कीम का लागू करना ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों पर ग्रुप इन्शोरेन्स स्कीम लागू करने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है । विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रुप इन्शोरेन्स स्कीम हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों, चाहे वे राज्य सरकार में कार्य कर रहे हों, भारत सरकार अथवा दूसरी राज्य सरकारें या सरकारी अण्डरटेकिंग्ज या कुआसी गवर्नमेंट बाडीज में कार्य करते हों, पर लागू की जाए परन्तु ग्रुप इन्शोरेन्स स्कीम तदर्थ आधार, डेली वेजिज/पार्ट टाईम पर कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी से एक रुपया प्रतिमास की दर से कटौती की जायेगी और जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाएगी उनके परिवारों को 5,000 रुपये की राशि बीमा निगम की ओर से मुख्य सचिव के माध्यम से बतौर सहायता दी जाएगी । यह स्कीम 1-4-1975 से लागू समझी जाएगी । आपसे प्रार्थना है कि मास अप्रैल, 1975 से प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से एक रुपया प्रतिमास काट लिया जाए तथा मासिक कलैक्शन की सूचना नियमों के साथ लगे प्रोफार्मा 4 में भरकर हर मास की 10 तारीख तक मुख्य सचिव सामान्य सेवाएं II को भेजी जाए । इस संबंध में बनाए गए हरियाणा स्टेट इम्पलाइज ग्रुप इन्शोरेन्स स्कीम रूल्ज 1975 की प्रति संलग्न की जाती है । जिसमें बताए गए प्रोसीजर के मुताबिक कार्यवाही की जाए ।